


बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

अधिसूचना

संख्या टी.टी.प्रे. 695 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 समय-समय पर यथा संशोधित के अध्याय-V की धारा-17 के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम-8(XII) के बाद उपविनियम (XIII) अन्तः-स्थापित कर संशोधित विनियमावली 2018 का अनुमोदन प्रशासी विभाग के पत्रांक-09/बि.वि.प.सं.-21/2016, 337, दिनांक-06.07.2018 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। संशोधित विनियमावली, 2018 का हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।


7/7/18
सचिव


ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. : 695 /2018 , पटना, दिनांक : 07-07 /2018


प्रतिलिपि : निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना एवं E-Gazette कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित कराने की कृपा किया जाय।


7/7/18
सचिव

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. : 695 /2018 , पटना, दिनांक : 07-07 /2018

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव/प्रधान सचिव शिक्षा विभाग/मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक (उच्च शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना एवं सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


7/7/18
सचिव


बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17